बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382744 पटना, दिनांक 03/08/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(प्रखण्ड अनु0)-102-33/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषय :- दिनांक 07.11.2018 तक आवास पूर्णता एवं गृह प्रवेश हेतु विशेष अभियान चलाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में दिनांक-27.07.2018 तक कुल 7.60 लाख आवासों की स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसमें लगभग 50,000 आवास पूर्ण है । विभाग द्वारा शेष 7.10 लाख स्वीकृत सभी आवासों को 07 नवम्बर 2018 तक पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु संपूर्ण राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जायेगा । जिला स्तर पर इस विशेष अभियान का नेतृत्व संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । इस विशेष अभियान के कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है:-

(क) दिनांक 07.11.2018 को सामूहिक गृह प्रवेश का विशेष अभियान

राज्य में दिनांक 27.07.2018 तक 7.10 लाख स्वीकृत परन्तु अपूर्ण आवासों को विशेष अभियान के तहत दिनांक 07.11.2018 तक पूर्ण कराते हुए दिनांक 07.11.2018 को संपूर्ण राज्य में सभी संबंधित परिवारों को प्रोत्साहित करते हुए इन सभी नव निर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराया जायेगा।

(ख) विशेष अभियान की रूपरेखा एवं समयबद्ध लक्ष्य

(1) ऐसे सभी लाभुक जिनके द्वारा छत ढलाई के स्तर तक आवास निर्माण किया जा चुका है उनको तृतीय किश्त की राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है । छत ढलाई के पश्चात् अधिकतम एक माह की अवधि में आवास निर्माण पूर्ण कराया जा सकता है । दिनांक-27.07.2018 तक राज्य में कुल 26000 लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है परन्तु उनके आवास अपूर्ण स्थिति में है । अतः सभी जिलों से अपेक्षित होगा कि ऐसे सभी लाभुकों से दिनांक- 26.08.2018 तक आवास निर्माण पूर्ण कराते हुए आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्णता की स्थिति को अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये ।

(2) ऐसे सभी लाभुक जिनके द्वारा प्लिंथ स्तर तक कार्य किया जा चुका है उनको द्वितीय किश्त का भुगतान किये जाने का प्रावधान है । द्वितीय किश्त के भुगतान के पश्चात् लाभुक द्वारा छत ढलाई का कार्य कराते हुए तृतीय किश्त के भुगतान हेतु आवेदन दिया जाता है प्लिंथ स्तर के पश्चात् छत ढलाई का कार्य 45 दिनों में कराया जा सकता है । दिनांक-27.07.2018 तक राज्य में 2.23 लाख आवासों के लिए द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है परन्तु इन्हें तृतीय किश्त का भुगतान नहीं किया गया है । अतः

सभी जिलों से अपेक्षित होगा कि ऐसे सभी लाभुकों से दिनांक 10.09.2018 तक छत ढलाई का कार्य पूर्ण कराते हुए तृतीय किश्त की राशि का भुगतान कर दिया जाय । इसके पश्चात् 10.10.2018 तक ऐसे सभी लाभुकों से आवास निर्माण पूर्ण कराते हुए आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्णता की स्थिति को अपलोड कराने सुनिश्चित किया जाय ।

(3) लाभुकों को आवास की स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की राशि विमुक्ति का प्रावधान है । आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित आंकडों के अनुसार दिनांक-26.07.2018 तक आवास की स्वीकृति प्राप्त लाभुकों की कुल संख्या 7.60 लाख है । इसमें से 17000 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । ऐसे मामलों को तत्काल चिन्हित करते हुए दिनांक- 10.08.2018 के पूर्व प्रथम किश्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

(4) प्रथम किश्त की सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात् लाभुकों द्वारा प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य कराया जाता है तथा द्वितीय किश्त हेतु आवेदन दिया जाता है । प्लिंथ स्तर तक का निर्माण कार्य अधिकतम एक माह में कराया जा सकता है । दिनांक 27.07.2018 तक प्रथम किश्त की सहायता राशि 3.41 लाख लाभुकों को विमुक्त की जा चुकी थी । ऐसे सभी लाभुकों को प्रोत्साहित करते हुए दिनांक-26.08.2018 तक प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ ही द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त की जायेगी । तदोपरांत 10.10.2018 तक इन सभी लाभुकों का छत ढलाई के स्तर तक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराते हुए तृतीय किश्त की राशि विमुक्त की जायेगी । नियमित समीक्षा एवं सघन आवास निरीक्षण सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 07.11.2018 तक इन सभी लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए आवास पूर्णता की स्थिति आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराई जायेगी ।

(ग) विशेष अभियान की क्रियान्वयन विधि

(1) **नियमित अनुश्रवण :-** यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि यह विशेष अभियान जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जायेगा । इस हेतु जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा दैनिक रूप से अनुश्रवण किया जायेगा । जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु निदेशक लेखा एवं स्वनियोजन के प्रभार में एक विशेष कोषांग का गठन किया जायेगा तथा इस कोषांग के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त रहेंगे । यह कोषांग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में गठित किया जा सकता है । इसी प्रकार प्रखंड स्तर पर भी एक कोषांग का गठन किया जायेगा तथा इस कोषांग द्वारा ग्रामीण आवास सहायकों एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों द्वारा किये जा रहे कार्य का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा ।

(2) **कर्मियों का निरीक्षण तथा लाभुकों की प्रतिबद्धता :-** इस अभियान को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि आवास निर्माण से संबद्ध कर्मीगण नियमित रूप से लाभुकों के आवास निर्माण स्थल एवं कार्य का निरीक्षण करें । निरीक्षण के क्रम में लाभुकों को शीघ्र आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के साथ ही लाभुकों को आ रही कठिनाईयों का भी उचित समाधान किया जायेगा । प्रथम निरीक्षण में लाभुकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनसे उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथि तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने की प्रतिबद्धता ली जायेगी । इसके साथ ही प्रत्येक लाभुक के पुराने (वर्तमान) कच्चे आवास

की दीवार पर निम्नानुसार अंकित किया जायेगा :- "मैं दिनांक .... तक अपना घर बनाऊँगा"

(3) **विशेष Selfie Campaign** :- प्रत्येक पंचायत से संबद्ध ग्रामीण आवास सहायक को एक सप्ताह से 15 दिन की अवधि में प्रत्येक लाभुक के आवास का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा । किये गये निरीक्षण की प्रविष्टि ग्रामीण आवास सहायक द्वारा निर्धारित पंजी में की जायेगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक निरीक्षण के क्रम में लाभुक अथवा लाभुक की अनुपस्थिति में लाभुक के परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के साथ ग्रामीण आवास सहायक द्वारा फोटो (Selfie) लेते हुए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को प्रेषित की जायेगी । यह प्रक्रिया प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर माह में दो बार क्रमश: 1 से 15 तारीख तक तथा पुन: 16 से 30 तारीख तक दुहराई जायेगी । ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा प्रति दिन ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा प्रेषित फोटो (Selfie) की समीक्षा करते हुए संतुष्ट होना अनिवार्य होगा कि ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण तथा लाभुकों का प्रोत्साहन किया जा रहा है । इसी प्रकार ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण करते हुए लाभुकों के साथ फोटो (Selfie) लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रेषित की जायेगी । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तरीय कोषांग के सहयोग से सभी फोटो (Selfie) के साथ ही ग्रामीण आवास सहायकों एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों द्वारा किये जा रहे निरीक्षण का अनुश्रवण किया जायेगा । विदित हो कि इस Selfie Campaign का उद्देश्य यह है कि नियमित रूप से आवास कर्मियों द्वारा लाभुकों से अवश्य भेंट की जाय ताकि लाभुकों की रूची आवास निर्माण की दिशा में लगातार बनी रहे तथा अपेक्षित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् राशि विमुक्ति हेतु लाभुकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो । अत: इस Selfie Campaign का सफल होना आवश्यक होगा तथा इसके लिए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक व प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगें ।

(4)**"आवास दिवस" का आयोजन:-** प्रत्येक 15 दिनों पर ग्रामीण आवास सहायक द्वारा पंचायत स्तर पर लाभुकों के साथ **"आवास दिवस"** का आयोजन किया जायेगा । "आवास दिवस" के आयोजन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि उस पंचायत के अधिकतम लाभुक आसानी से इसमें भाग ले सकें । इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा पंचायत के सभी लाभुकों का नाम पढ़कर सुनाते हुए यह बताया जायेगा कि प्रत्येक लाभुक को आवास की स्वीकृति तथा प्रथम / द्वितीय / तृतीय किश्त की विमुक्ति कौन सी तिथि को हुई तथा लाभुकवार आवास निर्माण की क्या स्थिति है ।

आवास दिवस में लाभुकों से शपथ करवाई जायेगी कि **"हम दिनांक 07.11.2018 को अपने नव निर्मित आवास में गृह-प्रवेश करेंगे ।"**

आवास निर्माण की किश्तों के भुगतान हेतु लाभुकों से आवेदन भी ग्रामीण आवास सहायक द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और अपनी पंजी में तत्संबंधी प्रविष्टि की जायेगी । अगली आवास सभा में इन सभी आवेदनों पर की गई कार्रवाई के संबंध में सभी लाभुकों को अनिवार्यत: अवगत कराया जायेगा ।

आवास दिवस में भाग लेने वाले सभी लाभुकों व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति ग्रामीण आवास सहायक द्वारा विधिवत दर्ज कराते हुए प्रखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक में ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को अवलोकित कराई जायेगी । ग्रामीण आवास सहायक द्वारा इस आवास दिवस आयोजन की 3 से 5 मिनट की वीडियो क्लिपिंग मोबाईल से Record

करते हुए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को प्रेषित की जायेगी । ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड स्तरीय कोषांग से अपेक्षित होगा कि सभी वीडियो क्लिप का अवलोकन करते हुए इस बिन्दु पर आश्वस्त हो लेंगे कि सभी पंचायतों में नियमित रूप से उद्देश्य के अनुरूप आवास सभा का आयोजन किया जा रहा है ।

(5) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी फोटो (Selfie) एवं आवास दिवस के वीडियो की समीक्षोपरांत प्रत्येक माह की 5वीं एवं 20वीं तारीख को संलग्न प्रपत्र में जिला स्तरीय कोषांग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा । जिलों द्वारा प्रखंड से प्राप्त फोटो (Selfie) एवं पंचायत में आयोजित आवास दिवस के वीडियो से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 25वीं एवं आगामी माह के 10वीं तारीख तक misiaybihar@nic.in पर अपलोड किया जायेगा ।

(6) विभागीय पत्रांक-369417 दिनांक-16.05.2018 के आलोक में जिला स्तर से उप विकास आयुक्त एवं निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के द्वारा प्रखंडों के साप्ताहिक निरीक्षण के क्रम में लंबित FTO, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा संधारित पंजी, लाभुकों के साथ ली गई फोटो (Selfie) एवं पंचायत स्तर पर आयोजित आवास दिवस के वीडियो का भी निरीक्षण किया जायेगा ।

(घ) उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कार / प्रोत्साहन

उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में आवास निर्माण पूर्ण करने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 382260 दिनांक 02.08.2018 द्वारा संसूचित प्रति आवास प्रोत्साहन राशि संबंधित ग्रामीण आवास सहायकों / ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों / लेखा सहायकों / कार्यपालक सहायकों को देय होगी । इसके अतिरिक्त दिनांक 07.11.2018 के आवास पूर्णता एवं गृह प्रवेश के विशेष अभियान को सफल बनाने में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दस प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्मार्टफोन एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा । इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा उप विकास आयुक्तों को लैपटॉप एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक 382260 दिनांक 02.08.2018 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवास कर्मियों की असंतोषजनक प्रगति हेतु भी प्रावधान स्पष्ट किये गये हैं । इसी प्रकार दिनांक 07.11.2018 के आवास पूर्णता एवं गृह प्रवेश के विशेष अभियान में सर्वाधिक असंतोषजनक प्रगति करने वाले 10 प्रखंडों को चिन्हित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया जायेगा जिनमें एक से अधिक प्रखंडों द्वारा असंतोषजनक प्रगति प्रदर्शित की जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का पालन करते हुए दिनांक 07.11.2018 तक आवास पूर्णता एवं गृह प्रवेश के विशेष अभियान का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराया जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

21/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

D:\Joint Secretary Cell\Application Hindi\IAY 2241A.doc